Ex.P.-453

Ex.P.-354

छत्तीसगढ़ शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

:: अभियोजन स्वीकृति आदेश ::

रायपुर, दिनांक 17.07.2015

फा.कमांक–08 / 55 / 2015 / 21–क(अभि.) / छ.ग–राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक / अमनि / अपराध / 09 / 2015 / 410 / 2015 रायपुर, दिनांक 12 / 05 / 2015 द्वारा अपराध कमांक 09 / 2015 के आरोपी कमांक 1. डॉ आलोक शुक्ला, आई.ए.एस., पदेन चेयरमेन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (Chairman, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग, रायपुर (छ.ग.) एवं कमांक 2. अनिल टुटेजा, आई.ए.एस. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11,13(1)(डी),13(2) एवं भारतीय दण्ड विधान,1860 की धारा 109, 120बी, 420 एवं 409 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अपराध से सुसंगत दस्तावेजों की प्रतिलिपि सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रशासकीय विभाग (सामान्य प्रशासन) ने अपने यू.ओ. कमांक 1686 दिनांक 17.07.2015 द्वारा उक्त प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

यह उल्लेखनीय है कि आरोपी कमांक 1. डॉ आलोक शुक्ला, आई.ए.एस., पदेन चेयरमेन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Chairman, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग, रायपुर (छ.ग.) एवं कमांक 2. अनिल टुटेजा, आई.ए.एस. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, (Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य है। अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19(1)(क) के उपबंधों के अनुसार अभियोजन के लिये पूर्व स्वीकृति पर केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।

आरोपी कमांक 1. डॉ आलोक शुक्ला, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग, रायपुर (छ.ग.) को पदेन चेयरमेन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Chairman, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) के पद पर दिनांक 01.07.2014 से विषयांकित कार्यवाही दिनांक 12.02.2015 की अवधि में पदस्थ होकर कार्यरत होना प्रस्तुत साक्ष्य कथन एवं

दस्तावेजों से प्रमाणित होता है। आरोपी कमांक 2. अनिल टुटेजा, आई.ए.एस. को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, (Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) के पद पर दिनांक 30.05.2014 से विषयांकित कार्यवाही दिनांक 12.02.2015 की अवधि में पदस्थ होकर कार्यरत होना प्रस्तुत साक्ष्य कथन एवं दस्तावेजों से प्रमाणित होता है। अतः इन दोनों आरोपीगण को अभिकथित अपराध के किये जाने के समय उन्हें राज्य के कियाकलाप के संबंध में नियोजित होना पाया जाता है। अतः उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 197 (1)(ख) के तहत राज्य सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ की ओर से उक्त अपराध कमांक 09/2015 में अनुसंधान के दौरान संकलित तथ्यों एवं दस्तावेजों, साक्षियों के मौखिक कथन, आवाज प्रतिलेखन (Voice Transcription) एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के तहत लेखबद्ध कथनों आदि का परिशीलन किया गया, जिससे निम्नलिखित परिस्थितियाँ प्रकट होती हैं यथाः–

एन्टी करप्शन ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रायपुर छ.ग. **(एतद्पश्चात् केवल "नान" उल्लेखित)** में चावल उपार्जन, परिवहन व अन्य खाद्यान्नों के संग्रहण व वितरण में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें संगठित रूप से उपर से लेकर नीचे फील्ड स्तर तक के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। सूत्र सूचना के सत्यापन की जांच में उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य पाई गई। जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि "नान" के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उन्हें दिये गये दायित्वों व अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक्रमण व दुरूपयोग कर राज्य में चावल उपार्जन व उसके परिवहन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में राईस मिलर्स पर अनुचित दबाव डालकर करोड़ों रूपयों की उगाही की जा रही है। भ्रष्टाचार का यह पूरा सिस्टम सुनियोजित व अनाधिकृत रूप से मोबाईल व टेलीफोन से चलाया जाता है।

अतः जांच अधिकारी द्वारा इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों के मोबाईल टेलीफोन पूर्व से विधिवत/नियमानुसार इंटरसेप्शन में रखा गया था। सूत्र सत्यापन के दौरान ही इंटरसेप्शन व विश्वस्त सूत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 12.02.2015 को अवैध वसूली की राशि लगभग 20 लाख रू. "नान" मुख्यालय में आने वाली है, जिसका तुरंत वितरण होना है। भ्रष्टाचार की उक्त अवैध राशि का शीघ्र वितरण होकर व्ययन होने की संभावना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)डी, 13(2)एवं धारा 109, 120 बी भा.द.वि. का अपराध कारित होना पाये जाने पर शून्य पर नालिसी दर्ज कर बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये "नान" के मुख्यालय परिसर तेलीबांधा, अवंति विहार, रायपुर (छ.ग.) में रेड की कार्यवाही की गई। रेड की कार्यवाही के दौरान "नान" के प्रबंध संचालक आरोपी अनिल टुटेजा, के निज सहायक गिरीश शर्मा के पास से एक काले बैग में 20 लाख रू. जप्त हुए जो कि उसी समय उसे अन्य आरोपी

शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, "नान" के स्टेनो टायपिस्ट अरविन्द ध्रुव ने लाकर दिया था। रेड के दौरान तत्काल पूछताछ पर गिरीश शर्मा ने खुलासा किया कि उक्त राशि उसे कुछ देर पहले ही प्रबंध संचालक आरोपी अनिल टुटेजा के निर्देश पर प्रबंध संचालक शिवशंकर भट्ट के द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट अरविंद ध्रुव के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे वह प्रबंध संचालक आरोपी अनिल टुटेजा के निर्देश पर 20 लाख रूपये में से 10 लाख रू. वास्तव में चेयरमेन आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला को उनके बताये अनुसार व्यक्ति डॉ आनंद दुबे, विद्या हास्पिटल को देने जा रहा था एवं शेष 10 लाख रू. आरोपी अनिल टुटेजा के लिये उनके पुत्र यश टुटेजा को मीनाक्षी सेलून में ले जाकर देना था। इस तरह "नान" में भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्रित की गई उक्त 20 लाख रू. इन अधिकारियों के निर्देश पर उनके निर्दिष्ट स्थानों तक पहुंचाया जाना था।

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई उक्त रेड की कार्यवाही के दौरान अन्य आरोपी शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक, "नान" के चेम्बर से 1,62,97,500/–रू. नगद तथा "नान" के संव्यवहार के अंतर्गत अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण द्वारा जिलों के माध्यम से पैसा वसूली एवं उसके वितरण के हिसाब का कच्चा चिट्ठा रखा गया था, वह बरामद हुआ। उसी दौरान संदीप अग्रवाल, "नान" के कम्पनी सचिव एवं क्वालिटी कंट्रोल कक्ष प्रभारी के चेम्बर से 20,000/–रू. नगद बरामद हुए थे, जबकि "नान" मुख्यालय में कार्यालयीन संव्यवहार के अंतर्गत नगद लेन–देन का कोई कार्य सम्पादित नहीं होता है। जप्तशुदा नगद राशि रखे जाने एवं प्राप्ति के स्रोत के संबंध में उक्त अन्य आरोपी शिवशंकर भट्ट एवं संदीप अग्रवाल समाधानकारक जवाब नहीं दे सके बल्कि यह खुलासा किया गया कि "नान" के अंतर्गत फील्ड के कार्यरत जिला प्रबंधकों, क्वालिटी इंसपेक्टर आदि के द्वारा चावल उपार्जन एवं परिवहन कार्य में अनुचित दबाव एवं विभिन्न कठिनाईयां/परेशानियां उत्पन्न करके राईस मिलर्स एवं परिवहन ठेकेदारों से अवैध वसूली कर संगठित भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्रित की गई राशि, चावल उपार्जन की मात्रा से 4/–रू. प्रति क्विंटल की दर से "नान" मुख्यालय को भेजी जाती है एवं शेष रकम उनके द्वारा अपने उपयोग में संपरिवर्तित करते हुए अपने कार्यालय तथा घरों में रखी गई है एवं उसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा "नान" मुख्यालय में की कई रेड की कार्यवाही के दौरान प्रकट हुये तथ्यों की पुष्टि हेतु तत्काल ही फील्ड में पदस्थ जिला प्रबंधकों व क्वालिटी इंसपेक्टरों के कार्यालय व आवासों में ए.सी.बी. के गठित दलों द्वारा छापे मारे गये, जिनमें जिला प्रबंधकों व क्वालिटी इंसपेक्टरों के कार्यालयों व आवासों से कुल 3,43,96,965/–रू.(तीन करोड़ तिरालिस लाख छियानवे हजार नौ सौ पैंसठ रू.) नगद राशि एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, जप्त अवैध रकम की वसूली के संबंध में उनकी स्वयं की लिखावट में लिखे गये हिसाब जो पर्चियों एवं डायरियों में था, उन्हें भी जप्त किया गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान बरामद की गई रकम एवं अन्य दस्तावेजों आदि की व्यक्तिवार जप्ती व इन्वेन्ट्री सूची तैयार की गई है।

"नान" छत्तीसगढ़ राज्य की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से शासन की निर्धारित नीतियों के तहत खाद्यान्न भण्डारण, वितरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लोक कार्य निष्पादित किया जाता है। "नान" के प्रशासकीय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की सम्पूर्ण शक्ति उसके संचालक मंडल में निहित है, जिसका प्रमुख चेयरमेन (अध्यक्ष) होता है। सामान्य तौर पर राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल से अनुमोदन उपरांत चेयरमेन की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में यह पद उपरोक्तानुसार रिक्त होने से शासन के नियमानुसार राज्य शासन के प्रमुख सचिव, खाद्य पदेन चेयरमेन के रूप में दिनांक 01.07.2014 से कार्यरत होकर उनके निर्देश पर "नान" के सम्पूर्ण संचालन व प्रबंधन का मूल दायित्व प्रबंध संचालक को है। प्रबंध संचालक के पद पर भी राज्य शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। इनके अधीनस्थ "नान" के अधिकारी/कर्मचारी, जिनमें प्रमुख रूप से महाप्रबंधक, प्रबंधक, क्वालिटी कन्ट्रोल प्रभारी, सहायक प्रबंधक व मैदानी इलाकों में जिला प्रबंधक व क्वालिटी इंस्पेक्टर तथा टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति का प्रावधान हैं।

विषयांकित अपराध के अनुसंधान के दौरान संकलित दस्तावेजों एवं साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि "नान" के कार्य विभाजन आदेश में चावल उपार्जन का कार्य अधिकृत रूप से महाप्रबंधक एम0एन0 प्रसादराव को आबंटित था किन्तु चेयरमेन आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला एवं प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा द्वारा इस संगठित व सुनियोजित भ्रष्टाचार को आपराधिक षड़यंत्र के माध्यम से सुचारू रूप से अवैध वसूली करने के उद्देश्य से अपने विश्वास पात्र अधिकारी अन्य आरोपी शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक (पी.डी.एस.) को सौंप दिया गया था, जो अधिकृत कार्य विभाजन आदेश के विरूद्ध था, जिससे यह भ्रष्टाचार का रैकेट उजागर न हो सके और गुप्त रूप से रिश्वत का धन मुख्यालय पर प्राप्त करते रहे।

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा सूत्र संकलन के दौरान इस भ्रष्टाचार में शामिल विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल टेलीफोन पूर्व से विधिवत/नियमानुसार इंटरसेप्शन में रखा गया था। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के लेखबद्ध मौखिक कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा, 164 के तहत लेखबद्ध कथनों एवं वाईस ट्रांसक्रिप्शन में अन्य आरोपीगण एवं संदिग्धों की विभिन्न अवसरों पर टेलिफोन/मोबाईल पर आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला एवं आरोपी अनिल टुटेजा के मध्य हुई वार्तालाप से यह प्रमाणित होता है कि प्रबंध संचालक आरोपी अनिल टुटेजा द्वारा उपरोक्त कारणों से कस्टम मिलिंग के चावल के अलावा स्टोरेज व स्पेस मैनेजमेंट का कार्य शिवशंकर भट्ट के माध्यम से कराया जाता था, परन्तु शासन के आदेशों व निर्देशों के विपरीत जाकर चावल के मूव्हमेंट के अनेकों आदेश जारी/अनुमोदित किये गये, जिनका कोई औचित्य नहीं था एवं चेयरमेन आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला उक्त आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होकर इस पर जानबुझकर उक्त अवैध कृत्यों पर कोई रोक नहीं लगाई गई तथा इस भ्रष्टाचार का दुष्प्रेरण एवं संरक्षण कर शासन को भारी आर्थिक क्षति कारित की गई है।

विषयांकित अपराध के अनुसंधान के दौरान संकलित दस्तावेजों एवं साक्ष्य से यह भी पाया जाता है कि, चेयरमेन आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला तथा प्रबंध संचालक आरोपी अनिल टुटेजा ने अपराध के अन्य आरोपी प्रबंधक शिवशंकर भट्ट एवं अन्य के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र कर, नियमों का पालन न करते हुये चावल एवं नमक का जानबूझकर बेईमानीपूर्वक, परिवहनकर्ताओं तथा नमक सप्लायर एजेंट को लाभ पहुंचाकर एवं स्वयं अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु अनावश्यक परिवहन कराया गया तथा पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त कर शासन को क्षति कारित की गई है। इस तरह आरोपीगण द्वारा निगम एवं शासन के हितों के साथ आपराधिक न्यास भंग करते हुए निगम को 5,18,65,255/–रू0 की राशि की आर्थिक क्षति कारित की गई एवं उसके अंतर्गत अवैध रूप से शामिल होकर उसमें स्वयं भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाना दर्शित है।

मौजुदा अपराध की विवेचना के दौरान संकलित तथ्यों, दस्तावेजों मौखिक कथन एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत लेखबद्ध कथनों के आधार पर यह तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि आरोपी लोकसेवक डॉ. आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा ने जानबुझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा "नान" में विभिन्न पदों पर पदस्थ होते हुए अन्य आरोपीगण के लोककर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अवैध रूप से सुनियोजित भ्रष्टाचार के तात्विक तथ्यों को जिसके प्रकट करने के लिये वे स्वयं भी आबद्ध रहे हैं, उसे जानबुझकर छिपाने, स्वेच्छया पूर्वक उक्त कृत्यों का कारित किया जाना या उपाप्त अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न किया जाना दर्शित होता है जो कि उक्त अपराधों के दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है।

आरोपी लोकसेवक डॉ. आलोक शुक्ला एवं आरोपी अनिल टुटेजा द्वारा शिवशंकर भट्ट एवं अन्य आरोपीगण के साथ आपराधिक षड़यंत्र में शमिल होकर "नान" के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पत्ति खाद्यान्न, अमृत नमक के क्रय, उपार्पण, भण्डारण एवं परिवहन आदि पर विभिन्न प्रकार का अख्तियार अपने को न्यस्त किये जाने पर, उस सम्पत्ति का अथवा उक्त सम्पत्ति के अख्तियार का बेईमानी से दुर्विनियोग कर या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उनके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग अथवा व्ययन कर, जानबूझकर अन्य आरोपीगण का ऐसा करना सहन करके आपराधिक न्यास–भंग का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया स्थापित होता है।

इसी प्रकार आरोपी लोकसेवक डॉ. आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा के उक्त कृत्यों के अन्तर्गत तथ्यों का बेईमानी से छिपाते हुए प्रवंचना द्वारा शिवशंकर भट्ट एवं अन्य आरोपीगण से कपटपूर्ण या बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाना कि वे लोग "नान" के अख्तियार की सम्पत्ति के माध्यम से अवैध रूप से भ्रष्टाचार के

जरिये वसूल की गई अवैध धनराशि उन्हें परिदत्त करने हेतु छल का अपराध कारित किया जाना भी प्रथम दृष्टया स्थापित होता है।

आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला की ओर से एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह लेख किया गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग नहीं किया है बल्कि "नान" में भ्रष्टाचार न हो सके इसलिये अनेक प्रभावी कदम उठाये है। उनके पास "नान" में कोई कार्यपालिक अधिकार नहीं थे। विवेचना में बिना किसी प्रमाण के झूठी काल्पनिक बनावटी और कुटरचित कहानी बनाकर अभियोजन स्वीकृति की मांग की गई है। आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि दाण्डिक विधि में प्रतिनिधित्व दायित्व के तहत् उनके विरूद्ध अपराध का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कथित रूप से कनिष्ठ कर्मचारी अरविंद ध्रुव तथा गिरिश शर्मा को आरोपी न बनाकर उन्हें उपकृत करते हुए उनके बयान दर्ज किये गये हैं। विवेचक द्वारा जप्त किये गये दस्तावेज पर्चियां, वाईस रिकार्डिंग इत्यादि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

आरोपी अनिल टुटेजा की ओर से एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध पूर्णतः काल्पनिक, झूठे एवं विधिक प्रावधानों का उलंघन करके निराधार प्रकरण बनाया गया है। विवेचना में दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित आज्ञापक प्रक्रियाओं का घोर उलंघन किया गया है। शिवशंकर भट्ट से उनके द्वारा किसी भी प्रकार के लेनदेन और उसके संरक्षण का कोई प्रमाण/साक्ष्य नहीं है। एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा उनके विरूद्ध कल्पना पर आधारित तथा प्रकरण में षड़यंत्र कर उन्हें फंसाने का असफल प्रयास किया गया है।

आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला एवं आरोपी अनिल टुटेजा की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक अभ्यावेदनों में वर्णित आधारों एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य के खण्डन स्वरूप उल्लेखित तथ्यों का इस स्तर पर गुण–दोष पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता। बल्कि इस तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है कि अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर भारतीय दण्ड विधान, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 (1)(ख) के तहत सक्षम न्यायालय में वर्णित अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु राज्य सरकार की ओर से अभियोजन की मंजूरी दिये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उचित एवं पर्याप्त आधार उपलब्ध है अथवा नहीं।

मौजुदा अपराध में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त सम्पूर्ण कृत्य में आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला एवं आरोपी अनिल टुटेजा का प्रकरण के शेष अन्य आरोपीगण (शिवशंकर भट्ट एवं अन्य) द्वारा "नान" में कथित रूप से भ्रष्टाचार कर अवैध धनराशि की वसूली हेतु अपराध का दुष्प्रेरण करना, आपराधिक षड़यंत्र रचकर उसमें शामिल होना, प्रवंचना द्वारा छल कारित करना एवं लोकसेवक के नाते उनमें न्यस्त "नान" के सम्पत्ति में कथित अख्तियार का न्यास भंग कारित किये जाने

संबंधी अपराध को क्रियान्वित करने संबंधी भारतीय दण्ड विधान, 1860 की धारा 109, 120बी, 420 एवं 409 के आवश्यक तत्वों का मौजुदा अपराध में उपलब्ध होना प्रथम दृष्टया स्थापित होता है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संकलित साक्ष्य एवं प्रस्तुत अभ्यावेदनों का समग्र परिशीलन कर विचारोपरांत आरोपी डॉ. आलोक शुक्ला एवं आरोपी अनिल टुटेजा के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 197 (1)(ख) के तहत अभियोजन के लिये राज्य शासन द्वारा मंजूरी दिये जाने हेतु उचित, युक्तियुक्त एवं पर्याप्त आधार पाया जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 2 एवं 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ शासन के कार्य नियम के नियम 13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेश भाग–5 के निर्देश क्रमांक–2.क के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग राज्य शासन की ओर से ऐसी स्वीकृति देने के लिए अधिकृत एवं सक्षम है तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ और कार्यरत है एवं विभागीय कार्य आबंटन आदेश द्वारा उक्त कार्य अधोहस्ताक्षरकर्ता को आबंटित है।

अतः उक्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए एतद्द्वारा, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 197(1)(ख) के उपबंधों के तहत एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर के अपराध क्रमांक 09/2015 के आरोपीगण क्रमशः 1. डॉ आलोक शुक्ला, आई.ए.एस., पदेन चेयरमेन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (Chairman, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग, रायपुर (छ.ग.) एवं 2. अनिल टुटेजा, आई.ए.एस. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited) के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान, 1860 की धारा 109, 120बी, 420 एवं 409 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध एवं अन्य अपराध के आरोप, जो साक्ष्य से प्रमाणित हो, के संज्ञान लिये जाने हेतु अभियोजन की मंजूरी प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

17.07.2015

(ए.के. सिंघल)
अतिरिक्त सचिव,
छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग